राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(24)खा.वि./आवंटन /2015 जयपुर, दिनांक 05.08.2017

जिला कलेक्टर,
जालौर, राजस्थान।

विषयः— अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण के संबंध में।

प्रसंगः— आपके कार्यालय का पत्रांक 1056 दिनांक 02.08.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र प्रेषित कर यह ध्यान में लाया गया है कि आपके जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण राशन वितरण संबंधी समस्यायें आ रही हैं तथा आप द्वारा गेहूँ एवं केरोसीन के अतिरिक्त आवंटन की मांग की गयी है।

इस संबंध में जिन 79 उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीन के माध्यम से राशन सामग्री वितरण में समस्या आ रही है, उन 79 उचित मूल्य दुकानों को आपके अनुरोध पर माह अगस्त, 2017 के लिये ऑफलाईन transaction हेतु विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 06( )खा.वि./कम्प्यूटर /12—13 दिनांकः 04.08.2017 द्वारा अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि उन क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होते ही राशन वितरण पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाये तथा माह अगस्त, 2017 में किये गये ऑफलाईन transaction का डेटाबेस EXCEL Format में सुरक्षित रख अपलोड करवाया जाये।

आपके अनुरोध पर अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 381 मै. टन गेहूँ का अतिरिक्त आवंटन 2/— प्रति किग्रा. की दर से इस शर्त के साथ किया जाता है कि उक्त गेहूँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों को समस्त विभागीय दिशा—निर्देशों के अनुरूप वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

वर्तमान में विभाग की ओर से गेहूँ का आटा बनाकर वितरण कराने का कोई प्रावधान ना होने के कारण इस हेतु अनुमति दिया जाना विभागीय निर्देशों के अनुरूप ना होने के कारण संभव नहीं है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपके अनुरोध पर 36,000 लीटर केरोसीन का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया जाता है, जिसे आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विभागीय निर्धारित दर 25.20 रूपये प्रति लीटर की दर से प्रति परिवार 5 लीटर उपखण्ड अधिकारी के पर्यवेक्षण में वितरण कराया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन भोजन पकाने एवं रोशनी हेतु ही काम में लिया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में आपके जिले की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके प्रस्तावानुसार विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृति दी जाती है।

भवदीय,

05.08.2017

(आकाश तोमर)
उपायुक्त (द्वितीय)

क्रमांक एफ 13(24)खा.वि./आवंटन /2015 जयपुर, दिनांक 05.08.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, जालौर
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी), खाद्य विभाग, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
10. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।

05.08.2017

उपायुक्त (द्वितीय)